भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2373

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

केरल में पीएम श्री योजना के लिए एमओयू पर वार्तालाप

†2373. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य सरकार के साथ पीएम श्री योजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर समझौता और निष्पादन की समय-सीमा क्या है तथा क्या हस्ताक्षर करने की तिथि और आज की तिथि तक रोके गए धन या कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में तत्पश्चात कोई पत्राचार हुआ है और कुल स्वीकृत, वितरित या रोकी गई धनराशि, यदि कोई हो, कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत केरल में कितने विद्यालयों के उन्नयन का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) से जोड़ने के संबंध में शिक्षक संघों, अभिभावक समूहों और नागरिक समाजों सहित हितधारकों से कोई शिकायतें और चिंताएं प्राप्त हुई हैं और उनका समाधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(घ) क्या केरल के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कोई निधि स्वीकृत की गई है और वितरण के लिए लंबित है और यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि लंबित है और वितरण की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सभी पहलों का प्रदर्शन करना है, जो अनुकरणीय स्कूल होंगे, वे पड़ोस के अन्य स्कूलों को बेंचमार्किंग नेतृत्व भी प्रदान करेंगे।

पीएम श्री योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं। इसके बाद, पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती मोड के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने हेतु समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

केरल राज्य ने 23 अक्टूबर 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद पीएम श्री स्कूलों के चयन के लिए पारदर्शी चुनौती मोड का पालन किया जाना है। केरल राज्य से पीएम श्री पोर्टल पर स्कूलों की जानकारी अपलोड करने का अनुरोध किया गया है।

पीएम श्री योजना के तहत उन्नयन के लिए केरल में प्रस्तावित स्कूलों की संख्या योजना के मानदंडों पर निर्भर करेगी, जो प्रति ब्लॉक/यूएलबी अधिकतम दो स्कूलों को सीमित करता है, निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले स्कूलों की संख्या और योजना के तहत शेष लक्ष्य की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पीएम श्री स्कूल एनईपी 2020 के अनुकरणीय स्कूल हैं, जहां इसके कई पहलुओं को प्रभावी बनाया गया है।

(घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा को एनईपी 2020 के अनुरूप किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती है। तत्पश्चात् इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इनका मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन किया जाता है। केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ती उपयोग प्रमाण-पत्रों, पूर्व में जारी की गई निधियों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, राज्य अंशदान और योजना मानदंडों के अनुपालन पर निर्भर करती है।

वर्ष 2025-26 में केरल राज्य को समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत और वितरित केंद्र सरकार की निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	**कुल अनुमोदित पीएबी**	**अनुमोदित कुल केंद्रीय भाग**	**जारी किया गया कुल केंद्रीय भाग (पहली किस्त)**
2025-26	761.08	452.05	92.41

*****